3/12/2021

मुख्य अभियंता –3 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

पटना दिनांकः–

पत्रांकः– II/मु0अ0–3,त0स्वी0–18–374 / 20

प्रेषक,

मुख्य अभियंता–3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रमीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, **सिवान**

विषयः–**शीर्ष 3054 एम0आर0 योजना अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, हथुआ के अधीन 01 अदद पथ के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

प्रसंगः–विभागीय पत्रांक–मु0अ0–4 (मु0) 3054–04–15 / 2021–725 अनु0 दिनांक–25.02.21 एवं आपका पत्रांक– 661 दिनांक–16.09.21

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त कार्य प्रमंडल, **हथुआ** के अधीन स्वीकृत पथ के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर विभागीय पत्रांक–मु0अ0–4 (मु0) 3054–04–15 / 2021–725 अनु0 दिनांक–25.02.21 द्वारा दिये गये मद विचलन की स्वीकृति के आलोक में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रही है जिसकी विवरणी निम्न हैः–

Sl. No.	Name of Division	Name of Scheme	Length (in KM)	Department Ref Lett. No.Date & A.A. Amount for Construction Cost & Maintanance Cost i/c Emergent Repair(in Lakh)	Revised T.S. Amount (in Lakh)	Remark
1.	Hathua	Thawe barka Gaon under Gopa Uchkagaon Block In Gopa (thawe To Line Bazar Piprahi Pul Se)	10.50	Lt. No. 1843/24.06.19 for Rs.-407.757	441.21	Item Deviation Sanctioned vide lt. No. 725 अनु0 दिनांक–25.02.21

2. निर्माण कार्य **3054 एम0आर0 योजना** की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
3. स्वीकृत प्राक्कलन की जॉच अधीक्षण अभियंता, अपने स्तर से कर लेगें यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
4. समर्पित किए गए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वास्तविक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरुप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं पुल निरुपण सम्बंधित सारी आवश्यकता पूरी कर ली गई है।
5. अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलबध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. पुनरीक्षित प्राक्कलन के नये मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिकत मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी। प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
7. पुनरीक्षित प्राक्कलन का दर मूल एकरारनामा के दर के समान होगा तथा नया मद का दर भी मूल एकरारनामा के दर पर आधारित होगा।

8. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, **सिवान** ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, कर दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के दर के आधार पर **MORD Data book analysis** के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए मुख्यालय को सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका अनुमोदन का **S.O.R** तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।

9. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।

10. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, **सिवान** को निदेश दिया जाता है कि नये मद का दर विश्लेषण जाँच कर संतुष्ट हो लेगें एवं पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त लोक निर्माण संहिता के सुसंगत कंडिका के अनुरूप अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

अनु0– स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

ह0/–

मुख्य अभियंता–3, पटना

ज्ञापांकः– 7953 पटना, दिनांकः– 17-11-21

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **हथुआ** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

17/11/2

मुख्य अभियंता–3, पटना